

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,
मध्य प्रदेश

क्रमांक / वि.अध्य.छा. / 25 / 2020-21 / 10625


भोपाल, दिनांक
19/6/2020

प्रति,
आयुक्त,
जनसम्पर्क
मध्यप्रदेश

विषय:- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विज्ञापन वर्ष 2020-21.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-12/2013/25-2/1669 दिनांक 12/7/2013 अनुसार विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति नियमों में संशोधन अनुसार 50 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है। इस हेतु अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु कृपया संलग्न विज्ञापित का प्रकाशन रोजगार निर्माण एवं प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में करने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(बी.चन्द्रशेखर)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 19/6/2020

पृ.क्रमांक / वि.अ.छा. / 25 / 2020-21 / 10626
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. माननीय राज्य मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-12-12/2013/25-2/1669 दिनांक 12/7/2013 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं विज्ञापित की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


आयुक्त 19/6/20
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश